भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त
हल्द्वानी

दिनांकः 26/07/2013

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12AA(1)(b)(i) के अधीन आदेश

मै० सैम एक्स स्टूडेंट्स ट्रस्ट, सेन्ट जोसेफ्स कालेज, नैनीताल–उत्तराखण्ड

PAN-AAMTS4382F

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1) उपधारा (b) में निहित शक्तियों के तहत मै० सैम एक्स स्टूडेंट्स ट्रस्ट, सेन्ट जोसेफ्स कालेज, नैनीताल–उत्तराखण्ड को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए दिनांक 01/04/2012 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा।

(i) संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय–समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।

(ii) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।

(iii) यह आदेश व्यापार से उद्भूत किसी लाभ पर लागू नहीं होगा, यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेख बहियां अलग से रखी जाए।

(iv) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।

(v) संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।

(vi) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के कियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के कियाकलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12AA (3) के अन्तर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

ह०

(डा० एस०सी० अग्रवाल)
आयकर आयुक्त
हल्द्वानी

फा0सं0:5(ई)/आ0आ0/हल0/12एए/रजि0सं0–2013–14/845

दिनांकः 26/07/2013

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सचिव/अध्यक्ष, मै० सैम एक्स स्टूडेंट्स ट्रस्ट, सेन्ट जोसेफ्स कालेज, नैनीताल–उत्तराखण्ड।
2. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून।
3. संयुक्त आयकर आयुक्त, नैनीताल।
4. आयकर अधिकारी, नैनीताल को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12ए के अर्न्तगत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तो को पूरा करती है अथवा नहीं उक्त दृष्टिकोण माननीय अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा भी में ज्योति प्रभा सोसायटी (आई0टी0ए02765/DEL/02) तथा विभिन्न मार्केटिंग समितियों के वाद में पारित आदेश में लिया गया है। यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कर मुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12AA(3) के अन्तर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

कार्यालय आयकर आयुक्त हल्द्वानी

(के०एस० रावत)
आयकर अधिकारी (मु०/तक०)
कृते आयकर आयुक्त,
हल्द्वानी